

भारत के वित्तीय प्रहरी संस्थानों में सुधार

यह संपादकीय 04/11/2024 को हट्टिस्तान टाइम्स में प्रकाशित " [Needed: A road map to regulate the regulators](#) " पर आधारित है। लेख भारत के वित्तीय नयामकों की बढ़ती जाँच को उजागर करता है और नयामक स्वायत्तता तथा जवाबदेही के मध्य संतुलन की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। नगिरानी तंत्र को सशक्त बनाना अब आवश्यक हो गया है।

प्रलिमिस के लयि:

[भारत के वित्तीय नयामक, भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड, भारतीय रज़िरव बैंक, भारतीय बीमा नयामक और वकिस प्रराधकिरण, पेंशन फंड नयामक और वकिस प्रराधकिरण, सकल गैर-नषिपादति परसिपत्तयि, राषटरीय पेंशन प्रणाली, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, डजिटिल उधार, केंद्रीय बैंक डजिटिल मुद्रा, टी + 0 नपिटान चकर के लयि सेबी का प्रयास।](#)

मेन्स के लयि:

भारत में प्रमुख वित्तीय नयामक नकिय, भारत के वित्तीय नयामकों में वर्तमान जवाबदेही संबंधी चतिाँ।

[भारत के वित्तीय वनियामकों](#) को अभूतपूर्व जाँच का सामना करना पड़ रहा है, जसिमें [भारतीय प्रतभित और वनियमि बोरड \(सेबी\)](#) अडानी मामले से नपिटने के कारण चर्चा में है और [भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#) पारंपरिक बैंकों की तुलना में फनितेक फनितेक फर्मों के प्रतअपने दृषटकिण के लयि, पारंपरिक बैंकों की तुलना में, आलोचना का सामना कर रहा है। जैसे-जैसे भारत के वित्तीय बाज़ारों में दाँव बढ़ते हैं, वनियामक स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इतहिास से स्पष्ट होता है कि प्रभावी वनियमन के लयिस्वतंत्रता और नगिरानी दोनों की आवश्यकता होती है। अब भारत के लयि अपने वनियामक जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करने का समय आ गया है।

भारत में प्रमुख वित्तीय नयामक नकिय कौन-से हैं?

- **भारतीय रज़िरव बैंक (RBI):** वर्ष 1934 में स्थापति, यह प्राथमिक बैंकिंग और मौद्रिक प्रराधकिरण के रूप में व्यापक नयामक शक्तयि के साथ भारत के केंद्रीय बैंक की भूमिका नभिता है।
 - RBI मुख्य रूप से सभी अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों, NBFC और वदिशी मुद्रा बाज़ारों को नयितरति करता है।
- **भारतीय प्रतभित एवं वनियमि बोरड (सेबी):** वर्ष 1992 में प्रतभित बाज़ारों के नयिमन और नविशकों के हतियों की रक्षा के लयि इसकी स्थापना की गई।
 - स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों और अन्य बाज़ार मध्यस्थों की देखरेख करता है।
 - सेबी दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों (NSI और BSE) को नयितरति करता है।
- **भारतीय बीमा वनियामक और वकिस प्रराधकिरण (IRDAI):** बीमा क्षेत्र को वनियमि और वकिसति करने के लयि वर्ष 1999 में इसकी स्थापना की गई।
 - जीवन बीमा कंपनयि, सामान्य बीमा कंपनयि और वशिष बीमा कंपनयि का पर्यवेक्षण करता है।
 - वर्ष 2022 तक भारत की बीमा प्रीमियम मात्रा 131 बलियिन अमेरिकी डॉलर (जीवन – 77%, गैर-जीवन – 23%) है।
- **पेंशन नधि वनियामक और वकिस प्रराधकिरण (PFRDA):** पेंशन उत्पादों को वनियमि करने और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लयि वर्ष 2003 में स्थापति कयिा गया।
 - 6.62 करोड से अधिक ग्राहकों के साथ [राषटरीय पेंशन प्रणाली \(NPS\)](#) का प्रबंधन करता है।

भारत में बाज़ार स्थरिता और नयामक नगिरानी सुनशिचति करने में RBI और सेबी की क्या भूमिका है?

- **प्रणालीगत जोखमि की रोकथाम:** भारत के वित्तीय नयामक ढाँचे की आधारशला, बाज़ार स्थरिता बनाए रखने और प्रणालीगत जोखमि को रोकने के लयि RBI और सेबी के समन्वित प्रयासों के दोहरे स्तंभों पर नरिभर करती है।
 - परषिकृत नगिरानी प्रणालयि के माध्यम से, दोनों नयामक अपने-अपने क्षेत्रों की नरितर नगिरानी करते हैं। RBI तनाव परीक्षण और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ पर ध्यान केंद्रति करता है, जबकि सेबी सरकटि बरेकर और वास्तविक समय की नगिरानी के ज़रए बाज़ार की अखंडता की देखरेख करता है।

- यह बात एफएंडओ से संबंधित सेबी के हालिया नरिदेश में विशेष रूप से प्रदर्शित हुई, जिसके अनुसार, ऑप्शन खरीदारों को प्रीमियम का भुगतान कारोबारी दिन के अंत में करने के बजाय अग्रिम भुगतान करना होगा।
 - यह परिवर्तन डिफॉल्ट जोखिम को कम करता है तथा ऑर्डर दिये जाने पर पूर्ण भुगतान प्रतबिद्धता सुनिश्चित करके बाज़ार अखंडता को मजबूत करता है।
- इसके अतिरिक्त, RBI के सख्त रुख ने बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी है और बैंकों के लिये **सकल गैर-नफिपादति आस्तियों (GNPA)** वृत्त वर्ष 25 में एक दशक के नचिले स्तर 2.5% तक गरिने का अनुमान है, जबकि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद व्यवस्थित बाज़ार सुनिश्चित किया गया है।
- **उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता:** उपभोक्ता संरक्षण दोनों नयामकों के लिये एक केंद्रीय अधिदेश है, जिसे व्यापक ढाँचे के माध्यम से कार्यान्वयित किया जाता है, जो खुदरा नविशकों और बैंकिंग ग्राहकों की सुरक्षा करता है।
 - उदाहरण के लिये, सेबी ने नयिम 51ए के तहत ऑनलाइन बाण्ड प्लेटफॉर्मों को सहायक कंपनियों के माध्यम से असूचीबद्ध ऋण प्रतभूतियों और अनयिमति उत्पादों को प्रस्तुत करने से प्रतबिद्धि कर दिया है।
 - इसका उद्देश्य गैर-सूचीबद्ध और संभावित रूप से उच्च जोखिम वाले उत्पादों में नविश को सीमित करके नविशकों की सुरक्षा करना है।
 - इसके अतिरिक्त, RBI ने तेज़ी से बढ़ते डिजिटल ऋण परदिश्य को वनियिमति करने के लिये सतिंबर 2022 में व्यापक दिशा-नरिदेश प्रस्तुत किये।
 - इसके अतिरिक्त, नयामकों का उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण विशेष रूप से उच्च-प्रोफाइल मामलों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है इसमें RBI द्वारा **पेटीएम पेमेंट्स बैंक** के के खिलाफ अनुपालन उल्लंघनों के लिये की गई नरिणायक कार्रवाई और नविशक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के वर्गीकरण और युक्तिकरण को शामिल किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना और नवाचार:** भारत के वित्तीय क्षेत्र का आधुनिकीकरण, सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रत दोनों नयामकों के प्रगतशील दृष्टिकोण से प्रेरित है।
 - RBI का सफल **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा** पायलट 1 मिलियन दैनिक लेन-देन तक पहुँच गया है, जो **टी + 0 नपिटान चक्र** के लिये सेबी के प्रयास को पूरा करता है और इस प्रकार भारत को कई वकिसति बाज़ारों से आगे बढ़ा रहा है।
- **कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन:** दोनों नयामकों ने कड़े नरिक्षण तंत्र स्थापित किये हैं जो वनियिमति संस्थाओं के लिये एक समग्र प्रशासनिक ढाँचा प्रदान करते हैं।
 - **सेबी की LODR (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) आवश्यकताएँ RBI की त्वरित सुधारतमक कार्रवाई (PCA) रूपरेखा** के साथ मलिकर बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की नगिरानी का एक महत्त्वपूर्ण साधन प्रदान करती हैं।
 - प्रमुख सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उन्नत ESG रपिर्गि आवश्यकताओं के कार्यान्वयन से भारत टकिऊ वित्त के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान पर पहुँच गया है।

भारत के वित्तीय नयामकों के समक्ष वर्तमान में जवाबदेही संबंधी क्या चिंताएँ हैं?

- **नरिणय लेने में पारदर्शिता:** वनियिमक परामर्श और नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में सार्वजनिक प्रकटीकरण की कमी जवाबदेही से संबंधित महत्त्वपूर्ण चिंताओं को उत्पन्न करती है।
 - उदाहरण के लिये, RBI ने **क्रपिटोकर्सि नविश के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी है और** इसे वित्तीय स्थिरता के लिये खतरा बताया है, फरि भी इसके दीर्घकालिक नयामक दृष्टिकोण में पारदर्शिता सीमित बनी हुई है।
 - सेबी को अपर्याप्त हतिधारक सहभागिता के लिये भी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जो विशेष रूप से **हाल ही में अदानी-हडिबरग जाँच के संदर्भ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।**
- **हतिों के टकराव का प्रबंधन:** नयामक नकियों के भीतर हतिों के टकराव के प्रबंधन के लिये मौजूदा ढाँचे में चिंताजनक कमियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।
 - सेबी अध्यक्ष के हतिों के टकराव के हालिया आरोप प्रणालीगत कमज़ोरियों को उजागर करते हैं।
 - नजिी क्षेत्र में भूमिकाएँ नभाने वाले वरषि वनियामक अधिकारियों के लिये **कूलगि-ऑफ अवधिका अभाव** संभावित समझौते की स्थिति उत्पन्न करता है।
- **संसदीय नगिरानी का अभाव:** नयामक नकियों के सीमित संसदीय पर्यवेक्षण के कारण जवाबदेही का अभाव उत्पन्न हो गया है।
 - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 2009 की सफारिशों** के बावजूद, नयिमति संसदीय समितिकी समीक्षा असंगत और अपर्याप्त बनी हुई है।
 - **लोक लेखा समिति** ने हाल ही में संसदीय अधिनयिमों द्वारा स्थापित नयामक नकियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने का नरिणय लिया है।
 - हालाँकि सतत् नगिरानी और जवाबदेही में महत्त्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं।
- **कर्मचारी जवाबदेही और आंतरिक शासन:** नयामक नकियों के भीतर आंतरिक जवाबदेही तंत्र में महत्त्वपूर्ण कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं, विशेष रूप से कर्मचारी प्रदर्शन मूल्यांकन और नरिणय लेने की प्रक्रिया में।
 - सतिंबर 2024 में सेबी मुख्यालय पर कर्मचारियों का वरिध प्रदर्शन और अक्टूबर 2024 में **RBI की मौद्रिक नीति समिति के भीतर कथित असहमत शासन संबंधी चुनौतियों** को उजागर करती है।
- **प्रवर्तन कार्रवाइयों में वलिंब:** उल्लंघन का पता लगाने और प्रवर्तन कार्रवाई के बीच काफी समय का अंतराल नयामक प्रभावशीलता से समझौता करता है।
 - **डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म** के लिये वरिषि वनियिमनों को RBI द्वारा वलिंबित रूप से प्रस्तुत किये जाने से एक वनियामक शून्य उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अनयिमति ऋण ऐप्स द्वारा शोषणकारी व्यवहार को बढ़ावा मिला।
 - इसके अतिरिक्त, **सेबी की एलगोरिथम टरेडगि** के संबंध में सख्त नयिमों को लागू करने में वलिंब के लिये भी आलोचना की गई है, जिसके कारण बाज़ार में कई बार अस्थिरता उत्पन्न हुई है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** कुछ मामलों में, नयामक नकियों को ठोस नयामक सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप नरिणय लेने के लिये

सरकार के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

- राजनीतिक हस्तक्षेप नियामक निकायों की स्वतंत्रता और नष्पक्ष नरिणय लेने की उनकी क्षमता को कमज़ोर कर सकता है।
- हाल के वर्षों में RBI पर सरकार को लाभांश भुगतान बढ़ाने का दबाव रहा है, विशेष रूप से बजटीय लक्ष्यों को पूरा करने और राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के लिये।
 - भारतीय रज़िर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये **भारत सरकार को ₹2.11 लाख करोड़ का रकिॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है।**

फनिटेक का उदय भारत में पारंपरिक नियामक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करता है?

- **डेटा स्थानीयकरण और गोपनीयता संबंधी चुनौतियाँ:** भारत की डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं ने फनिटेक परचालनों को पूरण पुनर्रगठन के लिये बाध्य कर दिया है, RBI ने अनविर्य कथि है कसभी वित्तीय डेटा को विशेष रूप से भारत में संगृहति कथि जाना चाहयि।
 - इस नीति ने अंतरराष्ट्रीय फनिटेक कंपनियों के लिये महत्त्वपूर्ण परचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं, जबकि घरेलू डेटा सेंटर ने अवसंरचना वकिस को संवर्द्धति कथि है।
 - केवल फोनपे ने डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिये भारत भर में डेटा केंद्रों सहतिअवसंरचना का वसितार करने के लिये 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का नविश कथि है, जो अवसंरचना की आवश्यकताओं पर नियामक प्रभाव के बड़े पैमाने पर प्रकाश डालता है।
- **डजिटल भुगतान प्रणाली एकीकरण:** UPI पारस्थितिकि प्रणाली ने अंतर-संचालन और नपिटान प्रणालियों के लिये नए नियामक ढाँचे को आवश्यक बना दिया है, जसिसे पारंपरिक बैंकिग वनियमन को संस्था-केंद्रति दृष्टिकोण से अग्रगेषति करने में सहायता मलिी है।
 - UPI प्रणाली अब मासकि आधार पर 10 बलियन से अधिक वनियमि को संधारति करती है, जसिके लिये वास्तवकि समय नरिीक्षण प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो पहले पारंपरिक बैंकिग में अनावश्यक था।
- **वैकल्पिक ऋण मॉडल: बाय नाऊ पे लेटर (BNPL) और सूक्ष्म ऋण प्लेटफारमों** के उदय ने पारंपरिक ऋण वनियमों को चुनौती दी है, जसिसे अल्पकालकि, छोटे-टकिट ऋण के लिये नए ढाँचे के नरिमाण के लिये बाध्य होना पड़ा है।
 - भारतीय BNPL बाज़ार वसिफोटक वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जसिके वर्ष2025 तक 100 बलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

वित्तीय नियामकों के उत्तरदायित्व में वृद्धि के लिये भारत क्या कदम उठा सकता है?

- **उन्नत संसदीय नगिरानी ढाँचा:** कार्य नष्पिादन समीक्षा के लिये समरपति संसदीय समतियों के समक्ष नियामक प्रमुखों की त्रैमासकि अनविर्य उपस्थति स्थापति करना।
 - वदियमान संसदीय समतियों के भीतर वशिषीकृत उप-समतियों का नरिमाण करना चाहयि जो वशिष रूप से वित्तीय वनियमन नरिीक्षण पर ध्यान केंद्रति करें।
 - समतििकी सफिराशों और वनियामक प्रतकिरथिओं का सार्वजनकि प्रकटीकरण आवश्यक है।
- **मानकीकृत सार्वजनकि परामरश प्रकरथि:** संरचति प्रतपिुषटिंतंर के साथ सभी प्रमुख वनियामक परविरतनों के लिये न्यूनतम सार्वजनकि परामरश अवधि अनविर्य करना।
 - परामरश की स्थति और हतिधारकों के प्रवषिटकि वास्तवकि समय पर पदांकन करने के लिये ऑनलाइन पोर्टल का नरिमाण कथि जाना चाहयि।
 - वनियामकों को हतिधारकों के सुझावों को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिये वसितृत तरक प्रकाशति करने की आवश्यकता होगी।
 - सगिपुर में इसी प्रकार की प्रणालियों ने वनियामक नरिणयों में अधिक सार्वजनकि भागीदारी प्रापुत की।
- **स्वतंत्र वनियामक समीक्षा बोर्ड:** वनियामक प्रदर्शन का आकलन करने के लिये वित्तीय वशिषज्जों, शकिषावदिों और उद्योग के प्रमुख अभकिरत्ताओं से संयोजति स्वायत्त बोर्ड स्थापति करना।
 - दक्षता, पारदर्शति और प्रभावशीलता को सममलति करने वाले पूर्व-नरिधारति मैट्रकि्स के आधार पर त्रैमासकि नष्पिादन लेखापरीक्षण का कार्यानवयन कथि जाना चाहयि।
 - सभी प्रमुख नरिणयों के लिये वनियामक प्रभाव आकलन की आवश्यकता होगी।
- **आंतरकि शासन संरचना का सुदृढीकरण:** प्रत्येक तीन वर्ष में नियामक निकायों में प्रमुख पदों का अनविर्य चकरण व्यवस्था का कार्यानवयन करना।
 - संसदीय समतियों को सीधे रपिॉर्ट करने वाले आंतरकि लोकपाल कार्यालय का नरिमाण करना चाहयि।
 - वनियामक कर्मचारियों के लिये गुप्तचर सुरक्षा प्रणाली को स्थापति कथि जाना चाहयि। सभी वरषिट-स्तरीय नयिकृतियों और उनकी अरहता मानदंडों के वषिय में अनविर्य सार्वजनकि प्रकटीकरण की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी-सक्ष्म पारदर्शति मंच:** नियामक कार्यों, नरिणयों और प्रवर्तन उपायों के वास्तवकि समय प्रकटीकरण के लिये एकीकृत डजिटल प्लेटफॉर्म का वकिस कथि जा सकता है।
 - अपरविरतनीय ऑडिट ट्रेलस के लिये सभी वनियामक नरिणयों की बलॉकचेन-आधारति रकिॉर्डगि को कार्यानवति करना।
 - मासकि आधार पर अद्यतन कथि जाने वाले वनियामक प्रदर्शन मीट्रकि्स को प्रदर्शति करने वाले सार्वजनकि डैशबोर्ड का नरिमाण कथि जाना चाहयि।
- **व्यावसायकि वकिस और जवाबदेही ढाँचा:** सभी स्तरों पर नियामक कर्मचारियों के लिये अनविर्य व्यावसायकि प्रमाणन आवश्यकताओं को स्थापति कथि जाना चाहयि।
 - फनिटेक, साइबर सुरक्षा और एआई वनियमन जैसे उभरते कषेत्रों में वशिष प्रशकिषण कार्यक्रम का नरिमाण कथि जाना चाहयि।
 - वनियामक प्रभावशीलता से संबंधति स्पषट प्रदर्शन मीट्रकि को स्थापति कथि जा सकता है। शीरष प्रतभिओं को आकषति करने के लिये प्रतसिपरद्धी मुआवज़ा संरचना को कार्यानवति कथि जा सकता है।

- **समन्वयित प्रवर्तन प्रणाली:** अतवियापी अधकार क्षेत्रों के लयि वनियामकों में संयुक्त प्रवर्तन दल को स्थापति कयि जा सकता है।
 - सभी नयामक नकियों के लयि प्रवर्तन कार्रवाइयों हेतु एक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार कयि जा सकता है।
 - वनियामकों में मानकीकृत दंड और प्रवर्तन प्रक्रियाओं को कार्रयान्वति कयि जा सकता है।

नषिकर्ष:

भारत के वत्ततीय नयामक बाज़ार में स्थरिता हेतु और नविशकों के हतियों के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का नरिवाह करते हैं। यद्यपि, उनकी प्रभावशीलता सुनश्चिति करने के लयि, उनके उत्तरदायत्व प्रणाली को सुदृढ़ करना अनविर्य है। पारदर्शति, हति संघर्ष प्रबंधन, संसदीय नगिरानी, आंतरकि शासन और प्रवर्तन को संवरद्धति कर भारत अपने वत्ततीय नयामक ढाँचे की वश्वसनीयता को बढा सकता है।

???????? ???? ????:

प्रश्न: वत्ततीय स्थरिता सुनश्चिति करने और नविशकों के हतियों के संरक्षण में भारत में वत्ततीय नयामक नकियों की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजयि। उनकी पारदर्शति और उत्तरदायत्व में वृद्धि के लयि कौन से सुधार आवश्यक हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????????:

प्रश्न 1. मौद्रकि नीतिसमति (मोनेटरी पॉलिसी कमटी / MPC) के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह RBI की मानक (बेंचमार्क) ब्याज दरों का नरिधारण करती है।
2. यह एक 12-सदस्यीय नकाय है जसिमें RBI का गवरनर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनरगठन कयि जाता है।
3. यह केंद्रीय वत्तित मंत्री की अध्यक्षता में कार्रय करती है।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. यदि RBI प्रसारवादी मौद्रकि नीतिका अनुसरण करने का नरिणय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा?

1. वैधानकि तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलति करना
2. सीमान्त स्थायी सुवधि दर को बढाना
3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न 3. पंजीकृत वदिशी पोर्टफोलियो नविशकों द्वारा उन वदिशी नविशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बना भारतीय स्टॉक बाज़ार का हसिसा बनना चाहते हैं, नमिनलखिति में से क्या जारी कयि जाता है? (2019)

- (a) जमा प्रमाण-पत्र
- (b) वाणजियकि पत्र
- (c) वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट)
- (d) सहभागति-पत्र (पार्टसिपिटरी नोट)

उत्तर: (d)

??????:

Q. वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इरडा (IRDA) नामक दोनों नयामक अभिकरणों के वलिय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सदिध कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reforming-india-s-financial-watchdogs>

